प्रेषक,

राजेन्द्र सिंह पतियाल,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

आवास विभाग–2 देहरादून, दिनांकः 28 फरवरी, 2023।

विषयः ग्राम भितरली निकट पुरकुल के क्षेत्र में "दिव्यांग बच्चों की शिक्षा एवं व्यक्तित्व विकास हेतु प्रथम समन्वित विद्यालय" हेतु खसरा संख्या–734, 735क कुल रकबा 3000.00 वर्ग मीटर का कृषि भू–उपयोग से सार्वजनिक/अर्द्ध सार्वजनिक में भू–उच्चीकरण तथा इस हेतु भू–उच्चीकरण शुल्क उद्‌गृहीत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया, उपर्युक्त विषयक सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून के पत्र संख्या–2061/नि0अनु0–07/भू0उप0परि0 (पी0एस0पी0)/2022, दिनांकः 02.12.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृषि भू–उपयोग से सार्वजनिक/अर्द्ध सार्वजनिक उपयोग में भू–उपयोग परिवर्तन हेतु शुल्क सर्किल रेट का 15 प्रतिशत निर्धारित है। भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2011 (समय–समय पर यथा संशोधित) के बिन्दु संख्या–3.3 के बिन्दु संख्या–(VI) (3) के अनुसार प्रश्नगत प्रकरण में "भू–उच्चीकरण शुल्क कृषि से प्रस्तावित सार्वजनिक/अर्द्ध सार्वजनिक गतिविधि हेतु निर्धारित भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क का आधा अर्थात् "भूमि मूल्य का 7.5 प्रतिशत उद्‌गृहीत किये जाने अनुमति प्रदान की जाती है।"

E.E / AE

3– अतः उक्तानुसार प्रकरण में भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2011 (समय–समय पर यथा संशोधित) तथा अन्य सुसंगत नियमों/प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए, प्रकरण में नियमानुसार अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

JCA
04/03/23

भवदीय,

Signed by Rajendra Singh Patiyal
Date: 27-02-2023 18:15:02

पत्र क्रमांक सं0 2593
दि0 03/03/2023
देहरादून

(राजेन्द्र सिंह पतियाल)
संयुक्त सचिव

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– संयुक्त मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
2– मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
3– गार्ड फाईल।